न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
32 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	16.03.2016	06.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–विक्रेता श्री अमित कुमार पाटीदार पुत्र श्री अशोक कुमार पाटीदार जाति महाजन निवासी रघुनाथपुरी बडा तख्ता टोंक जिला टोंक मैसर्स अशोक किराणा एण्ड जनरल स्टोर दाल मील वाली गली आदर्श नगर टोंक जिला टोंक
2–श्री अशोक कुमार पाटीदार पुत्र श्री हरिदास पाटीदार प्रोपरायटर मैसर्स अशोक किराणा एण्ड जनरल स्टोर दाल मील वाली गली आदर्श नगर जिला टोंक
3–मैसर्स अशोक किराणा एण्ड जनरल स्टोर दाल मील वाली गली आदर्श नगर जिला टोंक
4–श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री चिरन्जी लाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक
5–मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक
6–श्री नितिन चौधरी नॉमिनी मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड सर्वे नं. 151/1, 152, 154/2, 157, एनएच–8/ए, ग्राम मोती चिराई, ताल बछाउ, कच्छ गुजरात
7–मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड सर्वे नं. 151/1, 152, 154/2, 157, एनएच–8/ए, ग्राम मोती चिराई, ताल बछाउ, कच्छ गुजरात।

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री राजकुमार माथुर।

:–निर्णय–:

दिनांक 06.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.12.2015 को समय 03:30 पी.एम पर मैसर्स अशोक किराणा एण्ड जनरल स्टोर दाल मील वाली गली आदर्श नगर जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहाँ पर श्री अमित कुमार पाटीदार पुत्र श्री अशोक कुमार पाटीदार मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अमित कुमार पाटीदार ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में लगभग 30 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500 ग्राम पैक के **वनस्पति (गगन ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अमित कुमार पाटीदार को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **वनस्पति (गगन ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर बी.के-300815(09-डी) एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 500 ग्राम के चार मूल पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **वनस्पति (गगन ब्राण्ड)** के एक-एक पैकेट वाले चार भाग भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1236 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1236 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री अमित पाटीदार पुत्र श्री अशोक कुमार पाटीदार ने मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा द्वारा मैसर्स चिरन्जीलाल अशोक कुमार बडा कुंआ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक से पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, गुजरात का बिल प्रस्तुत कर इसे उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/193 दिनांक 14.01.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./993/एक्ट/2015/10 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया वनस्पति (गगन

अपर जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ब्राण्ड) अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री राजकुमार माथुर उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **वनस्पति (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **वनस्पति (गगन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0